



# हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)  
रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

Email: [exam@durguniversity.ac.in](mailto:exam@durguniversity.ac.in)

Website: [www.durguniversity.ac.in](http://www.durguniversity.ac.in)

Phone 0788-2359100

क्र.253/कुल. कार्या./2020

दुर्ग, दिनांक 09.09.2020

// अधिसूचना //

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के शैक्षणिक सत्र 2019-20 की वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा कोविड-19 संक्रमण के व्यापक प्रभाव के कारण स्थगित की गई थी। स्थगित परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 38 (2) में निहित प्रावधानों के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. के आदेश क्रमांक एफ 3-9/2020/38-2, दिनांक 09.09.2020 अनुसार अध्यादेश क्रमांक 5 में संशोधन की कंडिका क्रमांक 22 केवल शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए की गई है। फलस्वरूप वार्षिक/सेमेस्टर की परीक्षा के संचालन/परीक्षा परिणाम निम्नानुसार पद्धति से घोषित की जायेंगी।

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश दिनांक 29.04.2020 के परिप्रेक्ष्य के छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 1-33, दिनांक 01.06.2020 के अनुसार दिनांक 12.03.2020 से 20.03.2020 तक आयोजित स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के परीक्षाओं के प्रश्न पत्र के प्राप्तांको को यथावत जोड़कर परिणाम जारी किये जायेंगे।
2. राज्य शासन के दिशा निर्देश के अनुसार स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के कक्षाओं में नियमित परीक्षार्थियों के बचे हुए प्रश्न पत्रों के प्राप्तांकों की गणना गत वर्ष के प्राप्तांक/आंतरिक मूल्यांकन/असाईनमेंट में से स्नातक प्रथम वर्ष के लिए आंतरिक मूल्यांकन एवं असाईनमेंट एवं स्नातक द्वितीय वर्ष/इंटरमीडिएट सेमेस्टर के लिए पूर्व वर्ष के प्राप्तांको के 50% एवं आंतरिक मूल्यांकन के 50% अंक के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी किये जायेंगे।
3. स्नातक अंतिम वर्ष के नियमित एवं सेमेस्टर परीक्षाओं के अंतिम वर्ष तथा समस्त परीक्षाओं के स्वाध्यायी परीक्षार्थियों की परीक्षा का आयोजन ऑनलाईन पद्धति से आयोजित कर परीक्षा परिणाम घोषित किये जायेंगे।
4. उक्त संशोधन के पश्चात आयोजित होने वाली परीक्षाओं में किसी भी कारण से परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित अथवा जारी परीक्षाफल से असंतुष्ट विद्यार्थियों को स्थितियाँ सामान्य होने पर परीक्षा में बैठने का एक अतिरिक्त अवसर दिया जायेगा।
5. उक्त निर्देश केवल शैक्षणिक सत्र 2019-20 की आयोजित/स्थगित परीक्षाओं के लिए ही मान्य होगा।  
(माननीय कुलपति जी द्वारा अनुमोदित)

कुलसचिव

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 09.09.2020

क्र.254/कुल. कार्या./2020

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल महोदय के सचिव, राजभवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सादर प्रेषित।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.) को सादर प्रेषित।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
4. कुलसचिव, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
5. उ.कु.स., गोपनीय/अका./सा. प्रा./विकास/वित्त नियंत्रक/अधिष्ठाता छात्र कल्याण, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग (छ.ग.)।
6. कुलपति के सचिव/निज सहायक हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग (छ.ग.)।
7. समस्त संबंध महाविद्यालय, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग (छ.ग.)।
8. सम्पादक, समस्त स्थानीय समाचार-पत्र दुर्ग/बालोद/बेमेतरा/कबीरधाम/राजनांदगाँव को इस निवेदन के साथ अग्रेषित कि कृपया उक्त निर्देश को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के आगामी अंक में छात्रहित में समाचार के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

कुलसचिव

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग (छ.ग.)